न्यायालय न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय।

पीठासीन अधिकारी – मनीषा सिंह,
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

क्लेम याचिका सं. – 275/2021
सीआईएस नंबर – 275/2021

1– कृष्ण कुमार पुत्र रामलखन उपाध्याय, उम्र–58 वर्ष,
2– पूनम उपाध्याय पत्नी कृष्ण कुमार, उम्र– 41 वर्ष,
निवासीयान– 347, प्रिया विहार, गोविन्दपुरा, कालवाड़ रोड, निवारू लिंक रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।

...... प्रार्थीगण

बनाम

1– मैसर्स सुहानी लोजिस्टिक, निवासी– ए–18, बसन्त विहार, वैशाली मार्ग, पांच्यावाला, जयपुर।
(पंजीकृतवाहन स्वामी कार नं.– आर.जे.–14–टी.ई.–8661)
2– टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये प्रबन्धक, 205–208, ग्रीन हाऊस, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान 302001
(बीमा वाहन कार नं.– आर.जे.–14–टी.ई.–8661)

नोट– उक्त दुर्घटना में दुर्घटनाकर्ता चालक कृष्ण चौधरी पुत्र श्री उत्तम सिंह चौधरी, निवासी– ग्राम पोस्ट– लोयल, वाया चिड़ावा, जिला झुंझुनू की उक्त दुर्घटना में ही मृत्यु होने से बतौर चालक पक्षकार बनाया जाना अपेक्षित नहीं रह गया है।

.......अप्रार्थीगण/विपक्षीगण

<u>याचिका अन्तर्गत धारा–166 मोटर वाहन अधि0 1988</u>

<u>उपस्थित :–</u>

1– श्री कुलदीप सिंह पूनिया, वि. अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2– श्री विक्रम सिंह राठौड, वि. अधिवक्ता अप्रार्थी/विपक्षी सं.1 की ओर से।
3– श्री मनोज शर्मा, वि. अधिवक्ता अप्रार्थी/विपक्षी सं.2 की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांक : 30.05.2026**

1– उक्त क्लेम याचिका प्रार्थीगण द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा–166 के तहत प्रस्तुत कर दुर्घटना में विकास उपाध्याय के चोटें आने से मृत्यु होना बताते हुए मुआवजा राशि मय ब्याज दिलाये जाने हेतु प्रार्थना की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.12.2020

को विकास उपाध्याय अपनी ड्यूटी करके अन्य साथी दिव्यान्स, जतिन व समीरा के साथ कम्पनी की कार नं.– आर.जे.–14–टी.ई.–8661 से अपने घर निवारू रोड आ रहा था, महापुरा मोड से आगे इण्डियन पेट्रोल पम्प के सामने अजमेर रोड पर वाहन कार नं.– आर.जे.–14–टी.ई.–8661 के चालक ने तेजगति, गफलत एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया जिससे गाडी तीन–चार बार पलटी खा गई, दुर्घटना में विकास उपाध्याय के गम्भीर चोटे आई, जिसको एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया, जहॉ दौराने ईलाज दिनांक 12.12.2020 को मृत्यु हो गई। दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 361/2020 पुलिस थाना भांकरोटा जयपुर में दर्ज कराई, जिसमें बाद अनुसंधान कार नं.– आर.जे.–14–टी.ई.–8661 के चालक कृष्ण चौधरी की उपेक्षा व लापरवाही से दुर्घटना घटित होना प्रमाणित पाया तथा दुर्घटना में कार चालक कृष्ण चौधरी की मृत्यु होने से फौती मुल्जिम में एफआर पेश की।

3– दुर्घटना से पूर्व मृतक विकास उपाध्याय स्वस्थ व्यक्ति होकर **ISYA SOFTECH PVT. LTD., MAHENDRA WORLD CITY, JAIPUR** में कार्य कर 20 हजार रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था, मृतक विकास उपाध्याय अविवाहित था। माता–पिता विकास की आय पर ही आश्रित थे। परिवार में मृतक के अलावा अन्य कोई कमाने वाला नहीं है मृतक बारहवीं पास है तथा आगे की पढाई जारी थी। दुर्घटना में मृतक की मृत्यु होने से गहन मानसिक संताप एवं शारीरिक वेदना तथा उत्पीडन हुआ जो जीवन पर्यन्त रहेगा। वक्त दुर्घटना मृतक कृष्ण चौधरी उक्त वाहन कार नं.– आर.जे.–14–टी.ई.–8661 के चालक द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की तथा अप्रार्थी सं.1 उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी के नियोजन में उसके निर्देशानुसार हितार्थ लाभार्थ चला रहा था तथा अप्रार्थी सं.–2 उक्त वाहन की बीमा कम्पनी है। इस प्रकार अप्रार्थीगण/विपक्षीगण संयुक्त एवं पृथक– पृथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु जिम्मेदार है। प्रार्थीगण याचिका में वर्णितानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।

4– अप्रार्थी/विपक्षी सं. 1 की ओर से जवाब याचिका पेश में वर्णित किया कि तथाकथित दुर्घटना मृतक कृष्ण कुमार द्वारा कम्पनी की कार को तेजगति गफलत व लापरवाही से चलाने के कारण घटित नहीं हुई। झूंठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। वक्त दुर्घटना उक्त वाहन अप्रार्थी/विपक्षी सं.2 के

यहॉ बीमित था। क्षतिपूर्ति राशि बढ़ा–चढ़ाकर अंकित की है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी/विपक्षी सं.1 से कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण की याचिका विरूद्ध अप्रार्थी/विपक्षी सं.1 खारिज की जावे।

5– अप्रार्थी/विपक्षी सं.–2 बीमा कम्पनी ने जवाब याचिका में वर्णित किया कि वक्त दुर्घटना बीमित वाहन को वैध एवं प्रभावी लाईसेंसधारी व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया जा रहा था। दुर्घटना दिनांक 08.12.2020 की रिपोर्ट 05 दिन बाद दिनांक 13.12.2020 को दर्ज कराई जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। दुर्घटना दिवस के रोजनामचे में रपट नहीं है। प्रार्थीगण ने पुलिस व वाहन स्वामी से मिलीभगत कर क्लेम प्राप्त करने के उद्देश्य से बीमित वाहन को दुर्घटना में झूंठा लिप्त कराया है। वक्त दुर्घटना बीमित वाहन कार को बिना परमिट व फिटनेस प्रमाणपत्र के प्रयोग में लिया जा रहा था जो कि बीमा पॉलिसी की शर्तो का स्पष्ट उल्लघंन है। क्षतिपूर्ति राशि मनमाने ढंग से बिना किसी आधार के बढ़ा–चढ़ा कर अंकित की है। बीमाधारक द्वारा कथित दुर्घटना की सूचना बीमा कम्पनी को नहीं देकर बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लघंन किया है। अतः प्रार्थीगण, विपक्षी/अप्रार्थी बीमा कम्पनी से कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, इस प्रकार की आपत्तियां उठाते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

6– पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक विरचित किये गये :–

1. आया प्रश्नगत वाहन नं. आर.जे.–14–टी.ई.–8661 के मृतक चालक कृष्ण चौधरी के द्वारा दिनांक 08.12.2020 को समय करीब 4.30 ए एम बजे महापुरा मोड पुलिस थाना भांकरोटा जयपुर पर उक्त वाहन को लापरवाही तथा उतावलेपन से चलाकर की गई दुर्घटना के परिणामस्वरूप विकास उपाध्याय के चोटें आई, जिस पर उसकी मृत्यु हुई ?
2. आया उक्त वाहन मृतक चालक कृष्ण चौधरी तब वाहन स्वमाी विपक्षी सं.1 के नियोजन में होकर उसी के हितार्थ व लाभार्थ कार्य कर रहा था ?
3. आया विपक्षीगण द्वारा अपने लिखित कथन की प्रारम्भिक आपत्तियों एवं विशेष कथन के मद्देनजर अपने दायित्व से मुक्त हो सकते है, नहीं तो इसका प्रभाव ?
4. आया दावेदार प्रार्थीगण दावे/दावा में अंकित प्रश्नगत राशि या अन्य कोई न्याय सम्मत राशि पा सकते हैं, यदि हॉ तो दावेदार कितनी–कितनी राशि, किस–किस विपक्षी से एवं किस प्रकार से पा सकते है ?
5. अनुतोष ?

7– प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से बतौर गवाहान ए.डब्ल्यू–1 कृष्ण कुमार, ए.डब्ल्यु.–2 दिव्यांश परीक्षित हुए तथा कथनों के समर्थन में प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–14 तक दस्तावेजात प्रदर्शित कराये। अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

8– बहस अन्तिम सुनी गई। प्रार्थीगण व विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से लिखित बहस पेश की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान की ओर से उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपनी याचिका, जवाब याचिका में वर्णित तथ्यों को तर्को के रूप में प्रस्तुत किया।

9– उपरोक्त विवाद्यकों के संबंध में हमारा निष्कर्ष एवं निर्णय निम्न प्रकार है :–

<u>:: विवाद्यक संख्या 1 व 2 ::</u>

10– उक्त विवाद्यकों को साबित करने का भार याचीगण/प्रार्थीगण पर था। सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2011 (सुप्रीम कोर्ट) 1504 परमेश्वरी बनाम अमीरचंद के मामलें में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा–166 मोटर वाहन अधि0 के मामलों में फौजदारी मामलों की तरह युक्तियुक्त संदेह से परे मामला साबित नहीं करना होता है बल्कि प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर दुर्घटना की क्लेम याचिका में मामला साबित करना होता है, उक्त विधिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उक्त प्रकरण पर विचार किया गया।

11– याचीगण/प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का लिखित बहस में बहस के दौरान तर्क रहा कि दुर्घटना कार नं.– आर.जे.–14–टी.ई.–8661 के चालक कृष्ण कुमार द्वारा वाहन को उतावलेपन व लापरवाही से चलाने के कारण घटित हुई। दुर्घटना दिनांक 08.12.2020 को घटित हुई, दौराने ईलाज मृतक विकास उपाध्याय की दिनांक 12.12.2020 को मृत्यु हुई तथा दिनांक 13.12.2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद दुर्घटना से मृत्यु तक ईलाज होने के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा सकी। वक्त दुर्घटना प्रश्नगत कार में सवार ए.डब्ल्यु.–2 दिव्यांश चश्मदीद गवाह ने साक्ष्य में दुर्घटना के तथ्यों की पूर्णतया पुष्टि की है। पुलिस ने बाद अनुसंधान कार चालक कृष्ण कुमार की तेजी, उपेक्षा व उतावलेपन से दुर्घटना कारित होना, जिसके परिणामस्वरूप

मृतक विकास उपाध्याय की मृत्यु होना प्रमाणित पाया तथा मृतक कार चालक कृष्ण कुमार की फौती में एफआर पेश की। दुर्घटना दिवस का रोजनामचा प्रदर्श–6 है। प्रार्थीगण ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से दुर्घटना वाहन कार नं. – आर.जे.–14–टी.ई.–8661 मृतक चालक कृष्ण कुमार की तेजी व लापरवाही से कारित होना जिसके परिणामस्वरूप मृतक विकास उपाध्याय के गम्भीर चोटें आने से मृत्यु होना साबित किया है तथा वक्त दुर्घटना मृतक कार चालक, वाहन स्वामी विपक्षी सं.1 के नियोजन में उसके हितार्थ लाभार्थ उक्त वाहन को चला रहा था। अतः उक्त विवाद्यक प्रार्थीगण के पक्ष में तय किये जाये। समर्थन में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं 1665/2019 उनवान सुनीता व अन्य बनाम राज. स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपारेशन व अन्य में पारित निर्णय 14.02.2019, 2013 आरएआर 294 (राज.) चीफ मैनेजर, राज. स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरशेन व अन्य बनाम मालीराम व अन्य पेश किये।

12– वि. अधिवक्ता अप्रार्थी/विपक्षी सं.1 का बहस के दौरान तर्क रहा कि दुर्घटना मृतक कृष्ण कुमार द्वारा कम्पनी की कार को तेजगति गफलत व लापरवाही से चलाने के कारण घटित नहीं हुई। मामलें अप्रार्थी के वाहन कार को झूंठा लिप्त किया है। वक्त दुर्घटना उक्त वाहन अप्रार्थी/विपक्षी सं.2 के यहॉ बीमित था। अतः प्रार्थीगण की याचिका विरूद्ध अप्रार्थी/विपक्षी सं.1 खारिज की जावे।

13– वि. अधिवक्ता अप्रार्थी/विपक्षी सं.2 बीमा कम्पनी का लिखित बहस में व बहस के दौरान तर्क रहा कि दुर्घटना दिनांक 08.12.2020 की रिपोर्ट 05 दिन बाद दिनांक 13.12.2020 को बीमित वाहन को झूंठा लिप्त कर दर्ज कराई। रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में स्पष्ट रूप से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि महज आरोपपत्र पेश करने मात्र से ही वाहन की लिप्तता व वाहन के चालक की उपेक्षा व लापरवाही नहीं मानी जा सकती। आरोपपत्र निश्चायक सबूत नहीं है। वाहन स्वामी व चालक द्वारा अधिकरण के समक्ष याचिका कन्टेस्ट नहीं किया जाना भी प्रार्थीगण, वाहन स्वामी व चालक की आपस में दुरभि संधि को दर्शित करता है। प्रार्थीगण दुर्घटना में बीमित वाहन की लिप्तता साबित करने में असफल रहें है। अतः प्रार्थीगण की याचिका विरूद्ध अप्रार्थी/विपक्षी सं.2 बीमा कम्पनी खारिज

की जावे।

14— उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में याचीगण/प्रार्थीगण पक्ष की ओर से साक्ष्य में मृतक के पिता कृष्ण कुमार ए.डब्ल्यू.—1 ने साक्ष्य में दिनांक 08.12.2020 को उसके पुत्र का ड्यूटी करके अन्य साथियों के साथ कम्पनी की गाडी नं. आरजे 14 टीई 8661 से घर आते समय महापुरा रोड पर अन्य वाहन को बचाने के लिये चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से चलाकर गाडी को पलटा देने से उसके पुत्र के गम्भीर चोटें आने से दौराने ईलाज दिनांक 12.12.2020 को मृत्यु होना अभिकथित किया। समर्थन में प्रदर्श—1 एफआईआर, प्रदर्श—2 पीएमआर, प्रदर्श—3 पंचायतनामा, प्रदर्श—4 आरसी, प्रदर्श—5 बीमापत्र, प्रदर्श—6 रोजनामचा रपट, प्रदर्श—7 बीएचटी एसएमएस पेश कर प्रदर्शित कराये। विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि वह दुर्घटना के समय साथ में नहीं था।

15— चश्मदीद गवाह के रूप में पेश गवाह ए.डब्ल्यु—2 दिव्यांश ने साक्ष्य में दिनांक 08.12.2020 को स्वंय का, विकास, जतिन सिंह व समीरा खान का आईएसवाईएस कम्पनी के वाहन नं आरजे 14 टीई 8661 से घर आते समय महापुरा मोड पर उनके वाहन के चालक द्वारा अन्य वाहन को बचाने के लिये अपनी वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर वाहन को तीन चार पलटी खिला देना, जिससे वाहन चालक व विकास के गम्भीर चोटें आना अभिकथित किया। विकास को एम्बुलेंस से एसएमएस अस्पताल लेकर जाना, जहॉ दौराने ईलाज दिनांक 12.12.2020 को विकास की मृत्यु होना, दुर्घटना वाहन कार चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से चलाने के कारण घटित होना जाहिर किया। विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि कार में चालक सहित कुल 5 आदमी बैठे थे, जो कार उनको कम्पनी ने उपलब्ध करवाई थी। उन्होंने कार वाले को किराया नहीं दिया था। गवाह ने इस सुझाव से इंकार किया कि कार के किसी अन्य वाहन ने टक्कर मारी हो। उसके दुर्घटना में मामूली चोटें आई थी। कार की गति 120—150 थी, उन्होंने कार चालक को स्पीड कम करने के लिये एक—दो बार कहा, परन्तु वह फिर तेज कर लेता था।

16— हमने उभय पक्षों के तर्कों तथा पत्रावली पर आई समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर

मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रस्तुत साक्ष्य के समग्र विवेचन से प्रकट होता है कि मामलें में दुर्घटना दिनांक 08.12.2020 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–1 दिनांक 13.12.2020 को पुलिस थाना भांकरोटा में दर्ज कराई, जिसमें रिपोर्टकर्ता ने देरी का कारण ईलाज में व्यस्त होना बताया। प्रदर्श–6 दुर्घटना दिवस के रोजनामचा रपट में दुर्घटना के संबंध में अंकन है। पत्रावली पर उपलब्ध एफआर की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामलें में पुलिस ने बाद अनुसंधान प्रश्नगत दुर्घटना वाहन कार चालक कुष्ण कुमार की तेजगति व लापरवाही से वाहन चलाने के कारण घटित होना, जिसके परिणामस्वरूप मृतक विकास उपाध्याय की मृत्यु होना तथा मृतक कृष्ण कुमार के विरूद्ध धारा 279, 337, 304–ए भा.दं.सं. के अपराध साबित मानते हुए अदम फौती मुल्जिम कृष्ण कुमार में एफआर पेश की। पत्रावली पर पेश मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–2 में मृतक की मृत्यु सड़क दुर्घटना में आई चोटों के कारण होना वर्णित है तथा जिस पर दिनांक 08.12.2020 को भर्ती व दिनांक 12.12.2020 को मृत्यु होना अंकित है, प्रदर्श–3 फर्द पंचायतनामा है एवं प्रदर्श–7 बी एच टी अनुसार मृतक विकास का बाद दुर्घटना दिनांक 08.12.2020 को भर्ती होना व दिनांक 12.12.2020 को मृत्यु होना प्रकट होता है तथा जिस पर आर टी ए अंकित है। चश्मदीद गवाह ए.डब्ल्यु–2 दिव्यांश ने साक्ष्य में वक्त दुर्घटना कम्पनी के वाहन नं. आरजे 14 टीई 8661 में स्वंय का, स्व. विकास, जतिन सिंह व समीरा खान का आना, वाहन चालक द्वारा अन्य वाहन को बचाने के लिये अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर तीन–चार पलटी खिला देना, जिससे वाहन चालक व विकास के गम्भीर चोटें आना, बाद दुर्घटना विकास को एम्बुलेंस से एसएमएस अस्पताल लेकर जाना, दौराने ईलाज दिनांक 12.12.2020 को मृत्यु होना बताते हुए दुर्घटना के तथ्यों की पुष्टि की है, उक्त गवाह से विपक्षी द्वारा विस्तृत जिरह की गई जिसने जिरह के दौरान ऐसा कोई कथन नहीं किया जिससे उसके मुख्यपरीक्षा में किये गये कथन खण्डित होते हो। प्रार्थीगण की उक्त साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की कोई साक्ष्य नहीं है। प्रदर्श–4 आर सी अनुसार विपक्षी सं.1 का उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी होना प्रकट होता है।

17– वि. अधिवक्ता विपक्षी बीमा कम्पनी का यह भी तर्क रहा कि मामलें में दुर्घटना की रिपोर्ट 05 दिन बाद बीमित वाहन को झूंठा लिप्त कर

दर्ज कराई। इस संबंध में प्रार्थीगण की ओर से पेश की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में दुर्घटना दिनांक 08.12.2020 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13.12.2020 को दर्ज कराई। प्रदर्श–2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांक 13.12.2020 में मृतक की मृत्यु सड़क दुर्घटना में आई चोटों के कारण होना अंकित है तथा जिस पर दिनांक 08.12.2020 को भर्ती व दिनांक 12.12.2020 को मृत्यु होना अंकित है। प्रदर्श–6 रोजनामचा रपट में दुर्घटना के संबंध में वाहन नं. सहित स्पष्ट रूप से अंकन है। रिपोटकर्ता ने रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने का कारण ईलाज में व्यस्त होना व दौराने ईलाज मृत्यु होना स्पष्ट रूप से अंकन किया है। विलम्ब के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त रवि बनाम बद्रीनारायण एवं अन्य आरएआर पेज–81 सुप्रीम कोर्ट अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि विलम्ब से प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराये जाने को सन्तुष्टिपूर्वक स्पष्ट किया गया है, तो विलम्ब से प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराये जाने से दावेदार के मामले में सन्देह नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक विनिश्चय में प्रतिपादित सिद्वान्तों के प्रकाश में इस मामले विशेष में जिस आधार पर विलम्ब से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, उसका प्रकरण में पर्याप्त व समुचित स्पष्टीकरण उपलब्ध होने के कारण उक्त विलम्ब न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में इस मामलें मे विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से कोई विपरीत उपधारणा नहीं ली जा सकती। ऐसी स्थिति में विपक्षी बीमा कम्पनी के उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

18– इस प्रकार पत्रावली पर आये तथ्यों, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत वाहन कार नं आरजे–14 टीई 8661 के चालक मृतक कृष्ण कुमार द्वारा वक्त दुर्घटना उक्त वाहन को तेजगति, उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर वाहन को पलट देने से हुई तथा दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृतक विकास उपाध्याय के गम्भीर चोटें आने से दौराने ईलाज उसकी मृत्यु कारित हुई।

19– जहां तक मृतक कृष्ण कुमार वाहन कार नं आरजे–14 टीई 8661 चालक का विपक्षी सं.1 पंजीकृत स्वामी के नियोजन में उसके हितार्थ एवं लाभार्थ वाहन को दुर्घटना के समय चलाये जाने का प्रश्न है, प्रकरण में आई

मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से दुर्घटना के समय मृतक कृष्ण कुमार का उक्त वाहन पर चालक होना तथा प्रदर्श–4 आरसी अनुसार उक्त वाहन का अप्रार्थी/विपक्षी सं.1 पंजीकृत स्वामी होना प्रकट होता है। प्रदर्श–5 बीमापत्र विपक्षी सं.2 के नाम से है, एफआर आदि के अवलोकन से वक्त दुर्घटना उक्त वाहन का मृतक कृष्ण कुमार का चालक होकर विपक्षी सं.1 पंजीकृत स्वामी के नियोजन में उसके हितार्थ एंव लाभार्थ वाहन को चलाया जाना साबित होता है।

20– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक सं. 1 व 2 प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण/विपक्षीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाते हैं।

:: विवाद्यक सं0–3 ::

21– इस विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थीगण/विपक्षीगण पर था। विवाद्यक सं.1 व 2 के निर्णय में अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए उक्त दुर्घटना मृतक कृष्ण कुमार वाहन कार नं आरजे–14 टीई 8661 के चालक के तेजगति, उतावलेपन व लापरवाही से होना साबित हुआ है। बाद अनुसंधान पुलिस ने वाहन नं. आरजे 14 टीई 8661 के चालक मृतक कृष्ण कुमार के विरूद्ध धारा 279, 337, 304–ए के अपराध साबित मानकर कार चालक कृष्ण कुमार की मृत्यु होने से फौतगी मुल्जिम में एफआर पेश की है। मामलें में मृतक कार चालक कृष्ण कुमार की फौतगी में प्रस्तुत अन्तिम नतीजा में चालक के विरूद्ध वैध एवं प्रभावी डीएल नहीं हो, ऐसा आरोप नहीं है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे वक्त दुर्घटना आरोपित वाहन चालक के पास उक्त वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी डीएल नहीं हो। ऐसी स्थिति में वक्त दुर्घटना बीमित वाहन कार नं आरजे–14 टीई 8661 के पास उक्त वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी डीएल होना प्रकट होता है। प्रदर्श–5 बीमा पॉलिसी अनुसार उक्त वाहन कॉमर्शियल व्हीकल पैकेज पॉलिसी–पैसेन्जर केरियंग व्हीकल के रूप में अप्रार्थी/विपक्षी सं.–2 के यहॉ वक्त दुर्घटना बीमित होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से इस संबंध में उठाई गई आपत्ति स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पायी जाती है। अन्य आपत्तियों के संबंध में अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में विपक्षीगण द्वारा जो आपत्तियां उठाई गई है, वे किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथा अप्रार्थी/विपक्षी सं.–2 बीमा कम्पनी अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती, अतः यह विवाद्यक

अप्रार्थीगण/ विपक्षीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

:: विवाद्यक सं0–4::

22– इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था। विवाद्यक सं. 1 व 2 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विवाद्यक सं.3 अप्रार्थीगण/ विपक्षीगण के विरूद्ध उपरोक्त विवेचनानुसार निर्णित किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण दुर्घटना में आई क्षति के लिये क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण/विपक्षीगण से प्राप्त करने के अधिकारी है, क्षतिपूर्ति राशि किस किस प्रकार से किन किन मदों में दिलवाई जावे, इस सम्बन्ध में विचार किया जाना हैं।

23– उक्त विवाद्यक के संबंध में विपक्षी बीमा कम्पनी का तर्क रहा कि मृतक का कम्पनी का अकाउण्टस सेक्शन में काम करना बताया गया है जबकि मृतक के पास कोई तकनीकी डिग्री नहीं थी, मृतक का वेतन साबित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा धारा 53 के तहत ईएसआई से राशि प्राप्त करने के उपरान्त अन्य किसी से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रार्थीगण मृतक की आय व कार्य को साबित करने में असफल रहे है। अतः प्रार्थीगण, अप्रार्थी/. विपक्षी बीमा कम्पनी से कोई राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

24– जबकि वि. अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि मृतक की मृत्यु दुर्घटना में आई चोटों के कारण हुई है, जिसकी पुष्टि चिकित्सीय दस्तावेजात से होती है। ईएसआई के संबंध में दस्तावेज पेश किये है जिसमें 15,000/–रूपये मिले है। यदि किसी मृतक को उसके नियोक्ता कार्यालय से कोई राशि, पेंशन, परिलाभ आदि प्राप्त होते है, उस राशि का कोई विपरीत प्रभाव क्लेम राशि पर नहीं होने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व मान. उच्च न्यायालय ने न्यायिक सिद्वान्त प्रतिपादित किये है। वक्त दुर्घटना मृतक उक्त प्रा.लि. कम्पनी में कर्मचारी के रूप में कार्यरत होकर वेतन प्राप्त कर रहा था जिसकी पुष्टि नियुक्ति पत्र, वेतन प्रमाण–पत्र, बैंक स्टेटमेंट से होती है। अतः मृतक आय, कार्य व आयु को देखते हुए क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाये।

25– उक्त विवाद्यक के संबंध में मृतक के पिता ए.डब्ल्यु–1 कृष्ण कुमार ने साक्ष्य दी है कि वक्त दुर्घटना उसका पुत्र आईएसवाईएस साफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में एआर रिप्रजेंटेटीव के पद पर कार्य कर 15 हजार रूपये प्रतिमाह कमाता था जिस पर वे आश्रित थे। समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–8 एक्सीस बैंक स्टेटमेन्ट, प्रदर्श–9 लगायत 12 वेतन स्लिप,

प्रदर्श–13 नियुक्ति पत्र, प्रदर्श–14 एचडीएफसी बैंक स्टेटमेंट पेश कर प्रदर्शित कराये। जिरह में गवाह ने कथन किया कि उसका पुत्र 12 वी पास था उसके पुत्र ने तकनीकी कोर्स की कोई डिग्री नहीं कर रखी थी। आयकर रिटर्न नहीं भरता था। उसके पुत्र का ईएसआई का कुछ पैसा मिला है। उसका पुत्र आईएसवाईएस कम्पनी में सितम्बर 2020 में जोईनिंग की थी। वह कोई काम नहीं करता। उसे राज्य सरकार से कोई राशि नहीं मिली।

26– प्रार्थीगण को दिलायी जाने वाली क्षतिपूर्ति के संबंध में सर्वप्रथम मृतक की आयु व आय का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी पक्ष की साक्ष्य पर विचार किया गया तथा पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थीगण को दिलायी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के संबंध मे हमारा विवेचन निम्न प्रकार है :–

27– पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि याचिका में बतौर पक्षकार मृतक के माता पिता है। यह स्वीकृत स्थिति है कि वक्त दुर्घटना मृतक अविवाहित था। जहॉ तक वक्त दुर्घटना मृतक की आयु का प्रश्न है तो याचिका में वक्त दुर्घटना मृतक की आयु 21 वर्ष अंकित है। मृतक की पीएमआर प्रदर्श–2 में मृतक की आयु 22 वर्ष अंकित है। पत्रावली पर मृतक विकास उपाध्याय के पेनकार्ड व आधार कार्ड की फोटोप्रति उपलब्ध है जिनमें जन्म दिनांक 02.10.1999 अंकित है, जिनके खण्डन में अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की कोई साक्ष्य नहीं है। मृतक के पेनकार्ड व आधारकार्ड में वर्णित जन्म दिनांक अनुसार वक्त दुर्घटना दिनांक 08.12.2020 को उसकी आयु 21 वर्ष 2 माह होती है जिसे 21 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में माना जाना उचित है। माननीय उच्चतम न्यायलाय के न्यायिक दृष्टान्त 2009 (2) टीएसी 677 (एस सी) श्रीमती सरला वर्मा व अन्य बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन व अन्य में प्रतिपादित सिद्वान्तों व दिशा निर्देशों की अनुपालना में पंचाट राशि निर्धारण हेतु 18 का गुणांक उपयोग में लाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

28– जहॉ तक मृतक की आय का प्रश्न है, प्रार्थीगण ने मृतक का वक्त दुर्घटना आईएसवाईएस सोफ्टेक प्रा. लि. कम्पनी में एआर रिप्रजेंटेंटीव के पद पर कार्यकर 15 हजार रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करना बताया है तथा समर्थन में प्रदर्श–8 लगायत 14 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित कराये। प्रदर्श 13 नियुक्ति प्रमाणपत्र है तथा प्रदर्श–9 लगायत 12 वेतन स्लीप है तथा प्रदर्श–8 व 14 बैंक स्टेटमेंन्ट है। दुर्घटना से पूर्व मृतक उक्त कम्पनी में कार्य कर आय

अर्जित नहीं करता हो इस संबंध में अप्रार्थीगण / विपक्षीगण की कोई साक्ष्य नहीं है।

29— जहॉ तक अप्रार्थी / विपक्षी बीमा कम्पनी का तर्क कि प्रार्थीगण को ईएसआई एक्ट के तहत राशि प्राप्त हो चुकी है, प्रार्थीगण अन्य किसी व्यक्ति से अलग से कोई मुआवजा या हर्जाना प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि नियोक्ता कम्पनी द्वारा प्रार्थी के वेतन से ईएसआई की कटौती की जाती थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्णय— 1999 (1) एससीसी पेज 90 ***Mrs. Helen C. Rebello & Ors. v. Maharashtra State Road Transport Corporation & Anr.*** में *ESI benefit को Statutory/ Social insurance benefit* माना है तथा ईएसआई, पीएफ, पेंशन, जीवन बीमा, अनुकम्पा नियुक्ति, आदि को मोटर वाहन अधिनियम के तहत देय प्रतिकर राशि में समायोजित नहीं किये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त की रोशनी में विपक्षी बीमा कम्पनी का उक्त तर्क कि प्रार्थीगण को ईएसआई लाभ प्राप्त हो चुका है, अन्य लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, माने जाने योग्य नहीं है।

30— अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से दुर्घटना से मृतक का उक्त कम्पनी आईएसवाईएस साफ्टेक में एआर रिप्रजेंटेटीव के पद पर कार्य करना साबित होता है तथा प्रदर्श—9 लगायत 12 वेतन स्लिप में, प्रदर्श—11 वेतन स्लिप माह नवम्बर 2020 दुर्घटना दिनांक 08.12.2020 से पूर्व माह की है जिसमें बेसिक पे, एचआर के अलावा अन्य भत्तें वर्णित है। बेसिक पे व एचआरए के अलावा अन्य देय भत्ते वेतन की परिभाषा में नहीं आने से उनको वेतन में शामिल किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रदर्श—11 वेतन स्लिप में मृतक का बेसिक पे 6,000 / —रूपये व एचआर 2400 / —रूपये, इस प्रकार कुल 8,400 / —रूपये प्रतिमाह आय माना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वक्त दुर्घटना मृतक की आय 8,400 / — मासिक मानते हुए आय का निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत होता है, जो वार्षिक 1,00,800 / —रूपये होती है।

31— इस प्रकरण में मृतक पर कौन—कौन आश्रित है, इस पर विचार

किया जा रहा है। प्रार्थीया सं.1 मृतक के पिता व प्रार्थी सं.2 मृतक की माता है, जो आश्रित नहीं हो, ऐसी विपक्षीगण की कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में मामलें प्रार्थीगण सं. 1 व 2 मृतक के माता–पिता को मृतक पर आश्रित होना माना जाना न्यायोचित है। चूंकि वक्त दुर्घटना मृतक अविवाहित है, माननीय उच्चतम् न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त सरला वर्मा(श्रीमती) व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि. व अन्य, 2009 डी.एन.जे. (एस.सी.)पेज 684 में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया है उसके अनुसार अविवाहित के मामलें में यदि क्लेमेंट्स माता–पिता हो तो 50 प्रतिशत राशि मृतक द्वारा स्वंय पर खर्च किया जाना माने जाने का उल्लेख किया गया है। इस मामलें में वक्त दुर्घटना मृतक की वार्षिक आय 1,00,800/–रूपये मानी गई है, उसमें से पच्चास प्रतिशत राशि मृतक के स्वंय पर खर्च करना मानते हुए प्रार्थीगण को 50,400/–रूपये वार्षिक आश्रितता का नुकसान होना माने जाने योग्य है।

32– माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एम0 मन्सूर बनाम युनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. व अन्य सिविल अपील सं. 8612/2013 में पूर्व के अमृत भानु शैली वाले मामलें को आधार बनाकर पुनः यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मृतक की आयु के आधार पर गुणक का प्रयोग किया जाना चाहिये और यह माना जाना चाहिये कि 50 प्रतिशत राशि स्वंय पर व्यय करता।

33– उक्त स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के मक्कू वाले मामलें व माननीय उच्चतम् न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्तों अमृत भानु शैली व एम. मंसूर के निर्णयों को मद्देनजर रखते हुए इस मामलें में मृतक की आयु के आधार पर गुणक प्रयोग किया जाना मेरे न्यायिक विवेक से उचित है और इसी गुणक के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि की गणना की जाना न्यायोचित है।

34– इस मामलें में मृतक की आयु 21 से 25 वर्ष के मध्य होना मानी गई हैं। मामलें में मृतक की आयु 21 से 25 वर्ष के मध्य होने से 18 का गुणक प्रयोग किया जाना क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाना न्यायोचित है। इस मामलें में 50,400/–रूपये वार्षिक आश्रितता की क्षति होना मानी गई है, जिसको 18 से गुणा करने पर 09,07,200/–रूपये की आश्रितता की क्षति की राशि निर्धारित की जाती है।

35– मृतक की भविष्य की आय की बढोत्तरी के सम्बन्ध में माननीय

उच्चतम् न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2017 (4) टी ए सी पेज–673 एस सी नेंशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 बनाम प्रणय सेठी व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृतक के 21 से 25 वर्ष के मध्य 40 वर्ष से कम की आयु के स्वनियोजित व्यक्ति होने के कारण 40 प्रतिशत मृतक की आय में भविष्य की आय की बढोत्तरी करते हुए क्षतिपूर्ति राशि की गणना किये जाने के दिशा निर्देश जारी किये है। इसी निर्णय में यह भी सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि कंसोर्टियम के मद में 40,000/–रूपये, सम्पत्ति क्षति के मामले में 15000/–रूपये व दाह संस्कार व अन्य धार्मिक रिति रिवाजों पर व्यय किये गये मद मे 15000 रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाने के दिशा निर्देश दिये है।

36– हस्तगत प्रकरण में मृतक की मृत्यु के समय आयु 21 वर्ष से 25 वर्ष के मध्य मानी गई है, इस मामले में आश्रितता राशि 09,07,200/–रूपये मानी गई है, इस राशि की 40 प्रतिशत भविष्य की आय की क्षति 3,62,880/–रूपये मानी जाती है, इस प्रकार आश्रितता राशि भविष्य की आय सहित कुल 12,70,080/–रूपये होती है जो प्रार्थीगण विपक्षीगण से प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है।

37– प्रार्थीगण अपने पुत्र की सेवा सृश्रृषा, स्नेह के लिये सदैव के लिये वंचित हो गये हैं, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य में प्रतिपादित सिद्धांत तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1145, दिनांक 05.05.2023 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानूराम व अन्य 2018 (18) एस.सी.सी. 130 तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सोमवती 2020(9) एस.सी.सी. 644 में प्रतिपादित कन्सोर्टियम की मद में पति/पत्नी, पुत्र/पुत्रियों, व माता पिता की क्षतिपूर्ति के संबंध में दिये गये निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

38– नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी बनाम प्रणेय सेठी के निर्णय दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 के पैरा नंबर 61 (Viii) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि–

"Reasonable figures on conventional heads, namely, loss of estate, loss of consortium and funeral expenses should be Rs 15000/-, Rs 40,000/-, Rs. 15,000/- respectively. The aforesaid

amounts should be enhanced at the rate of 10% in every three Years.

39— माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत नानूराम व सोमवती, दोनों के ही अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्येक उत्तराधिकारी को प्रणय सेठी के मामलें में नियत राशि 40,000 / —रूपये (प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि कुल 10 प्रतिशत वृद्धि) =44,000 / —रूपये कन्सोर्टियम की मद में दिलाये जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। प्रार्थीगण माता पिता अपने पुत्र के स्नेह, लाड प्यार, सेवा सुश्रृषा से वंचित हुए हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण, प्रत्येक को कन्सोर्टियम की मद में 44,000 / रूपये — 44,000 / —रूपये इस प्रकार कुल 88,000 / —रूपये बतौर क्षतिपूर्ति दिलाया जाना न्यायोचित है। इसके साथ ही प्रार्थीगण को मृतक के अंतिम संस्कार की मद में 15,000 / —रूपये (प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि कुल 10 प्रतिशत वृद्धि) = 16,500 व सम्पत्ति नुकसान की मद में 15,000 / —रूपये (प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि कुल 10 प्रतिशत वृद्धि) = 16,500 / —दिलाया जाना न्यायोचित है।

40— इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण निम्न प्रकार से विभिन्न मदों में क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण / विपक्षीगण से प्राप्त करने का अधिकारी हैः—

क्र.सं.	मद का नाम	राशि
1.	आश्रितता राशि के मद में भविष्य की आय की क्षति सहित	12,70,080 / —
2.	दुःख, संताप, प्यार, सहचार्य	88,000 / —
3.	अंतिम संस्कार	16,500 / —
4.	मृतक की सम्पत्ति नुकसान	16,500 / —
	कुल राशि	**13,91,080 / —**

41— इस प्रकार प्रार्थीगण, विपक्षीगण / अप्रार्थीगण से सयुंक्ततः एवं पृथक—पृथकः रूप से 13,91,080 / —रुपये (अक्षरे तेरह लाख इकरानवें हजार अस्सी रूपये) क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी होगें, शेष राशि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण की प्रार्थना साक्ष्य के अभाव में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

42— अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक सं. 4 प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण / विपक्षीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

अनुतोष

43– उपरोक्तानुसार की गई विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण/विपक्षीगण से सयुंक्ततः एवं पृथक–पृथकः रूप से 13,91,080/– रुपये (अक्षरे तेरह लाख इकरानवें हजार अस्सी रूपये) क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है, इस राशि में से पूर्व में यदि कोई अन्तरिम पंचाट राशि अदा की गई हो तो वह समायोजित होगी। उक्त राशि में से दुःख, संताप, प्यार, सहचार्य, अंतिम संस्कार व सम्पत्ति नुकसान की मदों में देय राशि पर ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा अतिरिक्त शेष राशि पर याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 16.01.2021 से 6 प्रतिशत के साधारण ब्याज दिलाया जाना भी उचित है तथा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत याचिका आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: पंचाट ::–

44– परिणामतः प्रार्थीगण कृष्ण कुमार व अन्य द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका विरूद्ध अप्रार्थीगण/विपक्षीगण संयुक्तः एवं पृथकतः स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में 13,91,080/–रुपये (अक्षरे तेरह लाख इकरानवें हजार अस्सी रूपये) का पंचाट पारित किया जाता है। इस राशि में से पूर्व में यदि कोई अन्तरिम पंचाट राशि अदा की गई हो तो वह समायोजित होगी। प्रार्थीगण याचिका प्रस्तुत होने की दिनांक 16.01.2021 से उपरोक्त क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण राशि में से दुख, संताप, प्यार, सहचार्य, अंतिम संस्कार व सम्पत्ति नुकसान की मदों में देय राशि पर ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा अतिरिक्त शेष राशि पर वसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी होगें। पंचाट की राशि का भुगतान वसूल होने पर प्रार्थीगण को निम्न प्रकार से किया जावेगा :–

क्र.सं.	प्रार्थीगण	बचत खाता रूपये	मियादी खाता रूपये	अवधि
1.	कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामलखन उपाध्याय, उम्र– 58 वर्ष,	1,50,000/–	50,000/– 2,00,000/– 2,00,000/–	एक वर्ष तीन वर्ष पॉच वर्ष
2.	पूनम उपाध्याय पत्नी कृष्ण कुमार उम्र–41 वर्ष,	1,91,080/– मय ब्याज	2,00,000/– 2,00,000/– 2,00,000/–	दो वर्ष चार वर्ष छह वर्ष

45– दोनों पक्ष माननीय उच्चतम् न्यायालय के विनिश्चय परमिन्दर सिंह बनाम हनी गोयल एआईआर 2025 एससी 1713 के मामलें में दिये गये

दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें, इस हेतु निम्न आदेश पारित किया जाता है कि –

(1) आदेशित भुगतानकर्ता उक्त पंचाट में पारित आदेशानुसार राशि मय ब्याज अवार्ड में वर्णित प्रार्थीगण के बैंक खातों में नियमानुसार जमा कराये।

(2) प्रार्थीगण भुगतानकर्ता पक्ष को नियमानुसार अपने एमएसीटी बैंक खाते संबंधी सूचना अविलम्ब अप्रार्थीगण/भुगतानकर्ता को व अधिकरण को मय सत्यापित आवश्यक दस्तावेजात उपलब्ध करावें–

(a) खाताधारक का नाम
(b) बैंक का नाम मय स्थान
(c) पेनकार्ड संख्या
(d) खाता संख्या
(e) IFSC Code
(f) आधार कार्ड
(g) Bank E-mail Id.

(3) यदि प्रार्थीगण उक्त बैंक संबंधी विस्तृत सूचना आदेश की तिथि से 30 दिवस के भीतर अधिकरण व संबंधित भुगतानकर्ता को उपलब्ध नहीं कराते है तथा संबंधित भुगतानकर्ता लिखित में अधिकरण के समक्ष अवार्ड राशि जमा कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते है तो भुगतान संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त आवेदन की तिथि के बाद जब तक प्रार्थीगण द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तब तक उक्त अवार्ड राशि पर किसी प्रकार का उक्त अवधि तक ब्याज देय नहीं होगा। संबंधित भुगतानकर्ता सम्पूर्ण सूचनाएँ सत्यापित कर बाद जॉच उक्त अवार्ड राशि संबंधित बैंक खाते में सावधानीपूर्वक जमा करायेगें, जिसके लिए वे पूर्णरूप से उत्तरदायी होगें।

(4) प्रार्थीगण एक अण्डरटेंकिग अविलम्ब इस आशय की प्रस्तुत करें कि वे अपने खाते में भुगतानकर्ता द्वारा जमा राशि का अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना सुनिश्चित होने यथा सावधि जमा आदि होने के पश्चात् ही नियमानुसार निकासी कर सकेंगें।

(5) प्रार्थीगण द्वारा अपने बैंक खाते की डिटेल प्रस्तुत करने पर लिपिक उक्त संबंधित बैंक को अधिकरण के पंचाट आदेश की प्रति भेजकर अधिकरण के आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु अविलम्ब आदेश की प्रति ई–मेल करेंगे व पालना होने पर बैंक सम्पूर्ण डिटेल इस अधिकरण को प्रेषित करेंगें। संबंधित

बैंक इस प्रकार के एमएसीटी अकाउण्ट बाबत जारी समस्त परिपत्रों की आवश्यक रूप से पालन करेगें।

(6) संबंधित अप्रार्थी पक्ष द्वारा राशि उक्तानुसार जमा कराने पर उपरोक्त सूचना मय दस्तावेज अधिकरण में प्रस्तुत करेंगे।

(7) प्रार्थीगण का बैंक प्रार्थीगण को उक्त सावधि जमाओं के आधार पर अधिकरण की अनुमति के बिना कोई ऋण या अग्रिम राशि स्वीकृत नहीं करेगा तथा परिपक्वता पूर्व भुगतान नहीं करेगा।

(8) प्रार्थीगण का बैंक अधिकरण की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को संयुक्त खाताधारक के रूप में नहीं जोडेगा।

(9) प्रार्थी के नाबालिग होने की दशा में इस प्रकृति का उसके बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किया जावेगा जिसमें उसके संरक्षक का नाम विनिर्दिष्ट हो।

(10) प्रार्थी/आहत के नाम जो एफडीआर की गई है उन सभी पर मासिक ब्याज जरिये बचत खाता देय होगा।

(11) यदि अप्रार्थीगण/ भुगतानकर्ता प्रार्थीगण को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के ब्याज का टीडीएस काटा गया है तो उसका पूर्ण विवरण निर्णय में दिये गये प्रपत्र के अनुसार अधिकरण के समक्ष पेश करेगें। इसके अतिरिक्त टीडीएस कटौती की स्थिति में फार्म नं. 16 ए भी अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगें व प्रार्थीगण के अधिवक्ता को भी सूचित करेगें।

(मनीषा सिंह)

46– निर्णय आज दिनांक 30.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(मनीषा सिंह)